

PHILOSOPHY

PG-III Sem. (Indian Logic)

अनुमान के घटक - 'पक्ष'

Dr. S. K. Singh
Mob. - 9432449981

→ अनुमान के तीन घटक हैं - पक्ष, साध्य और हेतु।

→ 'पक्ष' कहा जाता है - 'पर्यन्ते इति पक्षः' अर्थात् जिसमें साध्य और साध्य दोनों समाविष्ट करने की क्षमता है, वह 'पक्ष' है। इसके अर्थों में पक्ष साध्य और साध्य दोनों का आश्रय या अधिकरण है। उदाहरणार्थ -
जहाँ-जहाँ धुँआँ है वहाँ-वहाँ आग है, यथा- पाकशाला में पर्वत पर खुँआ है।
∴ पर्वत पर आग है।

प्रस्तुत उदाहरण में 'पर्वत' पक्ष है क्योंकि यह हेतु और साध्य (धुँआँ और आग) - दोनों का अधिकरण है।

→ पाकशाला में आग और धुँआँ (साध्य और हेतु) का अधिकरण है किन्तु वह इस अनुमान का 'पक्ष' इसलिए नहीं है। वस्तुतः पक्ष वह अधिकरण है जिसमें साध्य की उपस्थिति संदिग्ध रहती है।

→ पक्ष को 'एकदेशी' अथवा 'धर्मी' भी कहा गया है क्योंकि साध्य और साध्य लप दो धर्मों या स्फोरेश वसमें रहते हैं।

→ कुछ विद्वानों ने तुलना की दृष्टि से ऐसा माना है कि पाश्चात्य निगमनात्मक तर्कशास्त्र में इसे न्याय का 'अधुपद' कहा जाता है, भारतीय न्यायशास्त्र में उसी अनुमान का 'पक्ष' कहा जाता है। किन्तु यहाँ हमारा मत है कि 'अधुपद' तथा 'पक्ष' की अवधारणा और विवेक में मौलिक भेद है।

पाश्चात्य व्याकरणशास्त्र में 'लघुपद' की परिभाषा देते हुये कहा गया है कि व्याकरण के निकर्ष का उद्देश्य किसी व्याकरण का लघुपद होता है। दूसरी ओर भारतीय पद्धति में व्याकरण-वाक्यों का अध्ययन उद्देश्य-विधेय में बाँटकर नहीं किया जाता। यहाँ साध्य-साधन और हेतु की ही प्रधानता है। इस रूप में पक्ष को परिभाषित करते हुये कहा गया है कि "पक्ष वह है जो साध्य और साधन ~~के~~ दोनों का अधिकरण है। पक्ष में साधन निश्चित रूप से तथा साध्य अनिश्चित रूप से उपस्थित रहता है।"

- भारतीय व्याकरणशास्त्र में 'पक्ष' के समानान्तर ही पर और पाये जाते हैं - 'सपक्ष' और 'विपक्ष' अथवा असपक्ष।
- जिन स्थान में साध्य की सत्ता पहले से निश्चित हो उसे 'सपक्ष' कहते हैं। लघुत्व की दृष्टि से इस पक्ष के समान होता चाहिए किन्तु पक्ष में साध्य की उपस्थिति ~~संदिग्ध~~ संदिग्ध होती है जबकि सपक्ष में निश्चित।
- पक्ष का इसी समानान्तर पर है - 'विपक्ष' या 'असपक्ष' वह स्थान जहाँ साध्य का अभाव सर्वथा निश्चित हो असपक्ष या विपक्ष कहा जाता है। उदाहरणार्थ - नदी, समुद्र, जलाशय आदि अपक्ष हैं जहाँ साध्य का अभाव निश्चित है। 'पक्ष' और 'विपक्ष' में अन्तर्गत यह है कि पक्ष में साध्य ही सत्ता संदिग्ध होती है जबकि विपक्ष में अथवा असपक्ष में साध्य का अभाव निश्चित सेम है। (रखा है।)